न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 03.07.2023

अपील संख्या 2023 / 75

उनवान

1. ओम प्रकाश वल्द मथुरालाल, जाति मीना मृतक जर्ये कायम मुकामान
   1/1. सीमा बाई पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश
   1/2. मनीषा आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा
   1/3. पूजा आयु 3 वर्ष पुत्री ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा
   अकवाम निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2. जनताराम वल्द मथुरालाल, जाति मीना
3. कन्या बाई पुत्री मथुरालाल, जाति मीना
4. काली बाई बेवा मथुरालाल, जाति मीना
5. मुकुट वल्द छोट्या, जाति मीना
6. केला बाई पत्नी धनरूप, जाति मीना
   अकवाम निवासीगण लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल वल्द किशना, जाति मीना
2. हीरालाल वल्द किशना, जाति मीना
3. रामकरण पुत्री फूल्या, जाति मीना
4. रामनिवासी वल्द फूल्या, जाति मीना
5. बनवासी वल्द फूल्या, जाति मीना
   अकवाम निवासीगण लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. कान्ती बाई पुत्री फूल्या जोजे बंशीलाल, जाति मीना, निवासी बरडावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
7. गायत्री बाई पुत्री फूल्या जोजे पप्पूलाल, जाति मीना, निवासी रीछवा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. सावित्री बाई पुत्री फूल्या जोजे सुरेश, जाति मीना, निवासी कोलाटोल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
9. रेखा बाई पुत्री फूल्या जोजे लालचन्द, जाति मीना, निवासी अमलावदा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. कालीबाई बेवा फूल्या, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11. बहादुर वल्द सोनाथ, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
12. घीसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13. भरोसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी नान्दहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
14. कालूलाल वल्द बल्देव, जाति मीना
15. जगन्नाथ वल्द बल्देव, जाति मीना
16. वीरमा वल्द नारायण, जाति मीना

    अकवाम निवासीगण लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
17. गुलाब चन्द वल्द मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :-

    17/1. बरजी बाई पत्नी गुलाब चन्द, जाति मीना

    17/2. मोनी आयु 20 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना

    17/3. आरती आयु 18 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना

    17/4. भारती आयु 16 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजीबाई पत्नी गुलाबचन्द, जाति मीना

    17/5. नीरज आयु 14 वर्ष पुत्र गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजीबाई पत्नी गुलाबचन्द, जाति मीना

    अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
18. टीला बाई पुत्री मथुरालाल जोजे दुर्गाशंकर, जाति मीना, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
19. मोहनलाल वल्द छोट्या, जाति मीना
20. लेखराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना
21. देशराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना

    अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
22. संजू बाई पुत्री मोहनलाल जोजे देवकरण, जाति मीना, निवासी बडाधानोदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
23. लालचन्द वल्द छोटिया, जाति मीना
24. भरलाल वल्द छोटिया, जाति मीना
25. जगदीश वल्द छोटिया, जाति मीना
26. बंशीलाल वल्द छोटिया, जाति मीना

    अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
27. कलावती पुत्री छोटिया, जाति मीना जोजे ग्यारसीराम, निवासी कालाटोल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
28. मांगी बाई बेवा छोटिया, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
29. भूमि अवाप्ति अधिकारी वृहत् परिवहन सिंचाई परियोजना जल संसाधन, झालावाड, जिला झालावाड
30. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
31. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/2 **दायरा दिनांक : 09.01.2024**

उनवान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1. जगदीश वल्द छोटिया, जाति मीना
2. बन्शीलाल वल्द छोटिया, जाति मीना
   अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3. कलावती पुत्री छोटिया, जाति मीना, जोजे ग्यारसीराम, निवासी कालाटोल, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा
4. मांगी बाई बेवा छोटिया, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल वल्द किशना, जाति मीना
2. हीरालाल वल्द किशना, जाति मीना
3. रामकरण पुत्री फूल्या, जाति मीना
4. रामनिवासी वल्द फूल्या, जाति मीना,
5. बनवारी वल्द फूल्या, जाति मीना
   अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. कान्ती बाई पुत्री फूल्या जोजे बन्शीलाल, जाति मीना, निवासी बरडावदा, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा
7. गायत्री बाई पुत्री फूल्या जोजे पप्पूलाल, जाति मीना, निवासी रीछवा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. सावित्री बाई पुत्री फूल्या जोजे सुरेश, जाति मीना, निवासी कोलाटोल, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा
9. रेखा बाई पुत्री फूल्या जोजे लालचन्द, जाति मीना, निवासी अमलावदा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. काली बाई बेवा फूल्या, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11. बहादुर वल्द सोनाथ, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
12. घीसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
13. भरोसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी नान्दहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
14. कालूलाल वल्द बल्देव, जाति मीना
15. जगन्नाथ वल्द बल्देव, जाति मीना
16. वीरमा वल्द नारायण, जाति मीना
    अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
17. गुलाब चन्द वल्द मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायममुकामानः–
    17/1. बरजी बाई पत्नी गुलाब चन्द, जाति मीना
    17/2. मोनू आयु 20 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना
    17/3. आरती आयु 18 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17/4. भारती आयु 16 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजी बाई पत्नी गुलाब चन्द, जाति मीना

17/5. नीरज आयु 14 वर्ष पुत्र गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजी बाई पत्नी गुलाबचन्द, जाति मीना

अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

18. टीला बाई पुत्री मथुरालाल जोजे दुर्गाशंकर, जाति मीना, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
19. मोहनलाल वल्द छोट्या, जाति मीना
20. लेखराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना
21. देशराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना

अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

22. संजू बाई पुत्री मोहनलाल जोजे देवकरण, जाति मीना, निवासी बडाधानोदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
23. लालचन्द वल्द छोटिया, जाति मीना
24. भूरलाल वल्द छोटिया, जाति मीना
25. ओम प्रकाश वल्द मथुरालाल, जाति मीना मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

25/1. सीमा बाई पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश

25/2. मनीषा आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा बाई

25/3. पूजा आयु 3 वर्ष पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा बाई

अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

26. जनताराम वल्द मथुरालाल, जाति मीना
27. कन्या बाई पुत्री मथुरालाल, जाति मीना
28. काली बाई बेवा मथुरालाल, जाति मीना
29. मुकुट वल्द छोट्या ,जाति मीना
30. केला बाई पत्नी धनरूप, जाति मीना

अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

31. भूमि अवाप्ति अधिकारी वृहत परिवहन सिंचाई परियोजना जलसंसाधन झालावाड, जिला झालावाड
32. शाखा प्रबन्धक एस. बी. आई. बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
33. स्टेट ऑफ राजस्थान जये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 16 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 04.11.2025**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 116/दावा/2018 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 51 की खसरा नम्बर 60 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 66 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 190 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल जुमला 23 किता की 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी की स्थिति है। जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 से वाद वादीगण व इकबाली जवाब दावा व काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण 7 स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2023/75 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के वाद में वर्णित विवादित कुल 23 किता की 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से वादीगण का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकामान का 1/900 व प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/5 पृथक खाता दर्ज करने के आदेश पारित करने में त्रुटि की है एवं मुआवजा राशि के बारे में स्पष्ट आदेश पारित न करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में दावे की सुनवायी के दौरान अर्थात निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2023 से पूर्व ही प्रतिवादी क्रम 8 गुलाबचन्द

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की मृत्यु हो चुकी थी, वादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी, वादीगण भी ग्राम लुहारिया के निवासीगण है एवं मृतक गुलाब चन्द भी ग्राम लुहारिया का ही स्थायी निवासी था, परन्तु वादीगण ने जान बूझकर मृतक गुलाबचन्द के वारिसान रेस्पोडेन्ट गुलाबचन्द की पुत्री बरजी बाई, पुत्र मोनू व नीरज एवं पुत्री आरती व भारती को रेकॉर्ड पर लेने बाबत अवधि मध्य कायम मुकामान बनाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया एवं जानकारी के बावजूद भी तथ्य छिपाकर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली जो नल एण्ड वोईड है और निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो भूमि वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त हुयी है इस आराजी के हिस्से के निर्धारण के मामले में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इस बारे में स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिये था। ताकि हिस्से अनुसार ही सह खातेदारान को मुआवजा राशि प्राप्त हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं कर बिना आधार के एक तरफा आदेश पारित कर अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। एक तरफा निर्णय एवं डिकी पारित होने से अपीलान्ट अपनी जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट क्रम 1 व 2 (वादीगण) के द्वारा विवादित आराजी के सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया इसके अभाव में रेस्पोडेन्ट का वाद खारिज किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत व प्रस्तुत रिकॉर्ड के विपरीत करने में त्रुटि की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 निरस्त किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाये कि यह प्रकरण में मृतक 8 गुलाब चन्द वल्द मथुरालाल के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर एवं अपीलान्ट को समुचित सुनवायी का अवसर जवाब दावा साक्ष्य प्रस्तुत करने का ऑफर प्रदान करते हुये प्रकरण का पुनः नियमानुसार निर्णय करे।

अपील संख्या 2024/2 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के वाद में वर्णित विवादित कुल 23 किता की 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से वादीगण का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकामान का 1/900 व प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/5 पृथक खाता दर्ज करने के आदेश पारित करने में त्रुटि की है एवं मुआवजा राशि के बारे में स्पष्ट आदेश पारित न करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में दावे की सुनवायी के दौरान अर्थात निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2023 से पूर्व ही प्रतिवादी क्रम 8 गुलाबचन्द की मृत्यु हो चुकी थी, वादीगण को इस तथ्य की जानकारी थी, वादीगण भी ग्राम लुहारिया के निवासीगण है एवं मृतक गुलाब चन्द भी ग्राम लुहारिया का ही स्थायी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवासी था, परन्तु वादीगण ने जान बूझकर मृतक गुलाबचन्द के वारिसान रेस्पोडेन्ट गुलाबचन्द की पुत्री बरजी बाई, पुत्र मोनू व नीरज एवं पुत्री आरती व भारती को रेकॉर्ड पर लेने बाबत अवधि मध्य कायम मुकामान बनाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया एवं जानकारी के बावजूद भी तथ्य छिपाकर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली जो नल एण्ड वोईड है और निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो भूमि वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त हुयी है इस आराजी के हिस्से के निर्धारण के मामले में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इस बारे में स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिये था। ताकि हिस्से अनुसार ही सह खातेदारान को मुआवजा राशि प्राप्त हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं कर बिना आधार के एक तरफा आदेश पारित कर अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित होने से अपीलान्ट अपनी जवाब देही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट क्रम 1 व 2 (वादीगण) के द्वारा विवादित आराजी के सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया इसके अभाव में रेस्पोडेन्ट का वाद खारिज किये जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत व प्रस्तुत रिकॉर्ड के विपरीत करने में त्रुटि की है। वादीगण सम्पूर्ण 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से बंटवारा करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 निरस्त किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाये कि यह प्रकरण में मृतक 8 गुलाब चन्द वल्द मथुरालाल के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर एवं अपीलान्ट को समुचित सुनवायी का अवसर, जवाब दावा, साक्ष्य प्रस्तुत करने का ऑफर प्रदान करते हुये प्रकरण का पुनः नियमानुसार निर्णय करे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपील संख्या 2023/75 में दिनांक 09.06.2023 व अपील संख्या 2024/2 में दिनांक 13.08.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं डिक्री दिनांक 27.03.2023 के विरुद्ध धारा–225 आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोटेन्ट क्रम 1 व 2 (वादीगण) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा–188 आर.टी एक्ट के तहत पेश किया कि ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा के माल में खसरा नम्बर– 60, 65, 66, 95, 97, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 172, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 189, 190 कुल जुमला 23 किता की 54 बीघा 2 बिस्वा आरावी वादीगण के शामलाती खाते में है जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा आराजी शामिल होने से विवाद होता रहता है। वादीगण का 1/5 हिस्सा पृथक खाते किया जाकर कब्जा दिलाया। अपलान्ट को विधिवत् सूचना नहीं हुई और एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही दिनांक 08.10.2022 को प्रतिवादी क्रम–8/रेस्पोडेन्ट गुलाब चन्द की मृत्यु हो गई। जो मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। इस प्रकार निर्णय एवं डिक्री मृतक व्यक्ति के विरुद्ध है। उक्त कारण से अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2023 को पारित किया गया। जबकि 27.03.2003 से पूर्व ही अर्थात दिनांक 08.10.2022 को प्रतिवादी गुलाबचन्द की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार गुलाबचन्द के वारिसान पुत्री बरजी बाई पुत्र मोनू व नीरज एवं पुत्री आरती व भारती को रिकॉर्ड पर लेने बाबत् वादीगण द्वारा अवधि मध्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अपील में अपीलान्ट द्वारा मृतक गुलाब चन्द के कायम मुकाम बनाये जाकर अपील पेश की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री मृतक के विरुद्ध होने से नल एण्ड वोईड है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को विधिवत् रूप से सूचना नहीं दी गई एवं एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है एवं जो भूमि वृहद् सिंचाई परियोजना में अवाप्त हुई। इस आराजी के हिस्से के निर्धारण के मामले में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील का मेरिट पर निर्णय फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2023 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह मृतक गुलाबचन्द (प्रतिवादी) के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर एवं अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के यहां पर रेस्पोडेन्ट क्रम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1 व 2 (वादीगण) की और से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट का पेश किया जिसमें गाम लुहारिया, तहसील अकलेरा के माल में 23 किता की 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमे से 1/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 का विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समस्त प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 08.12.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 दो पक्ष में पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट गुलाब चन्द के विधिक प्रतिनिधि अपीलान्ट नहीं है। इस कारण से उन्हें गुलाब चन्द के बारे में किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यदि रेस्पोडेन्ट गुलाबचन्द अधीनस्थ न्यायालय में बहस अन्तिम सुनने के पश्चात् उसका निधन हो जाता है तो विधिक प्रतिनिधि के कानूनी प्रावधान बनाये जाने का कोई नियम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 (वादीगण) के बयान सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार लेखबद्ध किये गये हैं और राजकीय दस्तावेज उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्शित करवाये गये है। तभी जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्ष में प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय विधिवत रूप से पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त भूमि में से वृहद सिंचाई परियोजना में यदि कोई भूमि अवाप्त की गयी है तो उसमे प्रत्येक पक्षकार को उसके हिस्से के हिसाब से मुआवजा दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील को सम्माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जिसमें करीबन 3 वर्षों से भी अधिक का समय समाप्त हो गया है, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को अकारण ही मानसिक एवं आर्थिक संताप का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण से उक्त अपील सव्यय सहित कानूनन निरस्त होने योग्य है। आर्डर सी पी सी 22 रूल 6 पेज 358 आर आर डी 92 पेज 335 बी अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः लिखित बहस रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की और से प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नज़र रखते हुए अपील अपीलान्ट्स सव्यय सहित निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम लुहारिया तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 51 की कुल किता 23 कुल रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादीगण के शामलाती खातेदारी की स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित है। वादीगण का आपसी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार बाप-बुढों के समय से आराजी पर मेड पडी हुई है जिसके अनुसार उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नं 95, 121, 127, 179, 186, 187 की आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी आराजी को वादीगण अपने बंटवारे में प्राप्त करना चाहते है तथा चाह को भी अपने हिस्से अनुसार दर्ज कराना चाहते है। उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नं. 180 की 5 बिस्वा, 184 की 5 बिस्वा, 186 की 1 बीघा 9 बिस्वा, 187 की 3 बिस्वा, 190 की 4 बिस्वा आराजी को परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए जल संसाधान झालावाड द्वारा अवाप्त कर ली है। इस कारण वादीगण अपने कब्जे की भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है। अतः ग्राम लुहारिया तहसील अकलेरा की कुल किता 23 कुल रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से वादीगण के पृथक खाते दर्ज की जावे तथा वादीगण के हिस्से की 1/5 भाग आराजी पर नापकर कर मौके पर कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादी क्रम 16 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे की वाद में वर्णित आराजी मे से परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अवाप्ति की गयी आराजी का मुआवजा भुगतान बिना विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण को न करे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1/2, 1/3 व 1/8 की ओर जर्ये अधिवक्ता इकबाली जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादीगण का वाद डिक्री फरमावे तथा हमारे हिस्से की आराजी का भी विभाजन करने की कृपा करे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 5 व 6 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 के शामलाती खाते की है तथा कानूनन शामलाती खाते की आराजी पर सभी खातेदारों का संयुक्त कब्जा होता है। इस कारण वादीगण का मौके पर पुराने कब्जे के अनुसार अपने हिस्से की 1/5 आराजी का विभाजन चाहना सर्वथा गलत है। वादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हिस्से का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तक विभाजन कराने का अधिकारी है। वाद में वर्णित आराजी में से कुल 3.06 बीघा आराजी परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लिए अवाप्त की गयी है तथा अवाप्त शुदा आराजी में सभी सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस कारण वादीगण को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। वाद में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की है तथा एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं 7 द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर कथन किया कि वाद में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से की 1/5 आराजी का मौके पर अपने कब्जे के अनुसार बंटवारा कराकर अपने पृथक खाते दर्ज कराने तथा 1/5 भाग पर नापकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे व प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर हिस्से की आराजी 1/5 भाग का विभाजन कर पृथक खाते दर्ज की जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2023 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद वादीगण व इकबाली जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण 7 स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि वाद में वर्णित आराजी ग्राम लुहारिया तहसील अकलेरा के माल की नई खतोनी संख्या 51 की कुल किता 23 कुल रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से वादीगण का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकाम का हिस्सा 1/900 व प्रतिवादी नम्बर 7 का हिस्सा 1/5 पृथक खाता दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करे। प्रतिवादी नं. 16 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद में वर्णित आराजी में से परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अवाप्त की गयी आराजी का मुआवजा भुगतान बिना विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण को नहीं करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में अपीलांट ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि दावे की सुनवाई के दौरान एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 से पूर्व ही प्रतिवादी क्रम 8 गुलाब चन्द की मृत्यु हो चुकी थी। वादीगण द्वारा गुलाबचन्द के वारिसान को कायम मुकामान बनाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली जो नल एण्ड वोईड है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं पत्रावली में सलंग्न सम्मन नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 8 गुलाब चन्द बाद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 22.01.2019 को ही

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके थे। प्रतिवादी गुलाब चन्द द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई एक तरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की पुष्टि भी पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 8 गुलाचन्द के वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट का कथन है कि उन्हें विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं सम्मन नोटिसों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण उसके विरूद्ध दिनांक 22.01.2019 एवं 27.03.2019 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। सम्मन प्राप्ति के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित दिनांक पर प्रतिवादीगण/अपीलांट को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना प्रतिवादीगण/अपीलांट का विधिक दायित्व था जिसे पूर्ण करने में अपीलांट असफल रहे हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2023 से वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 7 के इकबाली जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम के आधार पर वादीगण का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी क्रम 1 के कायम मुकामान का हिस्सा 1/900 व प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/5 पृथक खाते दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2073 से 2076 प्रदर्श 1 के अनुसार होने से विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादी क्रम 16 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में से परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अवाप्ति की गयी आराजी का मुआवजा भुगतान बिना विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण को न करें तथा तहसीलदार अकलेरा का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है। तहसीलदार अकलेरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.06.2023 से उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा का विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 9 एवं 10 द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.06.2023 के अनुसार अपीलांट प्रतिवादी क्रम 9 एवं 10 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने के क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लेते हुए प्रार्थना पत्र की एक प्रति वकील वादी को देने के पश्चात पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 03.07.2023 नियत की गई। दिनांक 03.07.2023 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पश्चात पत्रावली प्रार्थना पत्र के निर्णय में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री जमाबंदी संवत 2073–2076 प्रदर्श 1 के अनुसार विधिवत होने से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अपीलांट प्रतिवादी क्रम 9 व 10 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसका निर्णय होना शेष है। अन्य अपीलांट भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर उनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अमल में लायी गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने एवं विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2023/75 व अपील संख्या 2024/2 खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अजलास अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/75

1. ओम प्रकाश वल्द मथुरालाल, जाति मीना मृतक जर्ये कायम मुकामान

1/1. सीमा बाई पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश
1/2. मनीषा आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा
1/3. पूजा आयु 3 वर्ष पुत्री ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा अकवाम निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2. जनताराम वल्द मथुरालाल, जाति मीना
3. कन्या बाई पुत्री मथुरालाल, जाति मीना
4. काली बाई बेवा मथुरालाल, जाति मीना
5. मुकुट वल्द छोट्या, जाति मीना
6. केला बाई पत्नी धनरूप, जाति मीना अकवाम निवासीगण लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... **अपीलांट**

बनाम

1. रंगलाल वल्द किशना, जाति मीना
2. हीरालाल वल्द किशना, जाति मीना
3. रामकरण पुत्री फूल्या, जाति मीना
4. रामनिवासी वल्द फूल्या, जाति मीना
5. बनवासी वल्द फूल्या, जाति मीना अकवाम निवासीगण लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. कान्ती बाई पुत्री फूल्या जोजे बंशीलाल, जाति मीना, निवासी बरडावदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
7. गायत्री बाई पुत्री फूल्या जोजे पप्पूलाल, जाति मीना, निवासी रीछवा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. सावित्री बाई पुत्री फूल्या जोजे सुरेश, जाति मीना, निवासी कोलाटोल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
9. रेखा बाई पुत्री फूल्या जोजे लालचन्द, जाति मीना, निवासी अमलावदा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. कालीबाई बेवा फूल्या, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11. बहादुर वल्द सोनाथ, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
12. घीसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
13. भरोसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी नान्दहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
14. कालूलाल वल्द बल्देव, जाति मीना
15. जगन्नाथ वल्द बल्देव, जाति मीना
16. वीरमा वल्द नारायण, जाति मीना अकवाम निवासीगण लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
17. गुलाब चन्द वल्द मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

17/1. बरजी बाई पत्नी गुलाब चन्द, जाति मीना
17/2. मोनी आयु 20 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना
17/3. आरती आयु 18 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना
17/4. भारती आयु 16 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजीबाई पत्नी गुलाबचन्द, जाति मीना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17/5. नीरज आयु 14 वर्ष पुत्र गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजीबाई पत्नी गुलाबचन्द, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
18. टीला बाई पुत्री मथुरालाल जोजे दुर्गाशंकर, जाति मीना, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
19. मोहनलाल वल्द छोट्या, जाति मीना
20. लेखराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना
21. देशराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
22. संजू बाई पुत्री मोहनलाल जोजे देवकरण, जाति मीना, निवासी बडाधानोदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
23. लालचन्द वल्द छोटिया, जाति मीना
24. भरलाल वल्द छोटिया, जाति मीना
25. जगदीश वल्द छोटिया, जाति मीना
26. बंशीलाल वल्द छोटिया, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
27. कलावती पुत्री छोटिया, जाति मीना जोजे ग्यारसीराम, निवासी कालाटोल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

28. मांगी बाई बेवा छोटिया, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
29. भूमि अवाप्ति अधिकारी वृहत् परिवहन सिंचाई परियोजना जल संसाधन, झालावाड, जिला झालावाड
30. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
31. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/2

1. जगदीश वल्द छोटिया, जाति मीना
2. बन्शीलाल वल्द छोटिया, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3. कलावती पुत्री छोटिया, जाति मीना, जोजे ग्यारसीराम, निवासी कालाटोल, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा

1. रंगलाल वल्द किशना, जाति मीना
2. हीरालाल वल्द किशना, जाति मीना
3. रामकरण पुत्री फूल्या, जाति मीना
4. रामनिवासी वल्द फूल्या, जाति मीना,
5. बनवारी वल्द फूल्या, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. कान्ती बाई पुत्री फूल्या जोजे बन्शीलाल, जाति मीना, निवासी बरडावदा, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा
7. गायत्री बाई पुत्री फूल्या जोजे पप्पूलाल, जाति मीना, निवासी रीछवा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. सावित्री बाई पुत्री फूल्या जोजे सुरेश, जाति मीना, निवासी कोलाटोल, तहसील छीपाबडौद, जिला बांरा
9. रेखा बाई पुत्री फूल्या जोजे लालचन्द, जाति मीना, निवासी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4. मांगी बाई बेवा छोटिया, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... **अपीलांट**

अमलावदा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10. काली बाई बेवा फूल्या, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11. बहादुर वल्द सोनाथ, जाति मीना, निवासी लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
12. घीसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
13. भरोसी बाई पुत्री सोनाथ जोजे कालू, जाति मीना, निवासी नान्दहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
14. कालूलाल वल्द बल्देव, जाति मीना
15. जगन्नाथ वल्द बल्देव, जाति मीना
16. वीरमा वल्द नारायण, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
17. गुलाब चन्द वल्द मथुरालाल, जाति मीना, निवासी ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायममुकामानः–

17/1. बरजी बाई पत्नी गुलाब चन्द, जाति मीना

17/2. मोनू आयु 20 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना

17/3. आरती आयु 18 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना

17/4. भारती आयु 16 वर्ष पुत्री गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजी बाई पत्नी गुलाब चन्द, जाति मीना

17/5. नीरज आयु 14 वर्ष पुत्र गुलाब चन्द, जाति मीना, नाबालिग जर्ये वली माता बरजी बाई पत्नी गुलाबचन्द, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

18. टीला बाई पुत्री मथुरालाल जोजे दुर्गाशंकर, जाति मीना, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
19. मोहनलाल वल्द छोट्या, जाति मीना
20. लेखराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना
21. देशराज वल्द मोहनलाल, जाति मीना अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
22. संजू बाई पुत्री मोहनलाल जोजे देवकरण, जाति मीना, निवासी बडाधानोदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
23. लालचन्द वल्द छोटिया, जाति मीना
24. भूरलाल वल्द छोटिया, जाति मीना
25. ओम प्रकाश वल्द मथुरालाल, जाति मीना मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

25/1. सीमा बाई पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश

25/2. मनीषा आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा बाई

25/3. पूजा आयु 3 वर्ष पुत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश नाबालिग जर्ये वली माता सीमा बाई अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

26. जनताराम वल्द मथुरालाल, जाति मीना

(दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27. कन्या बाई पुत्री मथुरालाल, जाति मीना
28. काली बाई बेवा मथुरालाल, जाति मीना
29. मुकुट वल्द छोट्या ,जाति मीना
30. केला बाई पत्नी धनरूप, जाति मीना

अकवाम निवासीगण ग्राम लुहारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

31. भूमि अवाप्ति अधिकारी वृहत परिवहन सिंचाई परियोजना जलसंसाधन झालावाड, जिला झालावाड
32. शाखा प्रबन्धक एस. बी. आई. बैंक शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
33. स्टेट ऑफ राजस्थान जये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/75, व 2024/2** एवं नाराजगी डिक्री अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
मु.द.नं **116/दावा/2018** निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक **27.03.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 13 माह 10 सन् 2025

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री अरूण कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1, 2, 16 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 2023/75 व अपील संख्या 2024/2 खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथनिक डिक्री दिनांक 27.03.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज **तारीख** 04 **माह 11 सन् 2025** को जारी किया गया।

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)